राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019** को श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव (कार्मिक, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं अन्य विभाग), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास, एम.एस.एम.ई. एवं अन्य विभाग), उत्तराखंड शासन, श्री मीनाक्षी सुन्दरम्, सचिव (सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य एवं अन्य विभाग), उत्तराखंड शासन, श्रीमती तारिका सिंह, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री आलोक कुमार चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री अजीत सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक एवं शासकीय विभागों के उच्चाधिकारियों, समस्त बैंकों के नियंत्रक उपस्थित थे।

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा एवं विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार किया गया :

<u>मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 (Model Land leasing Act)</u> :

अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखंड शासन द्वारा मॉडल भूमि पट्टे पर अधिनियम 2016 की प्रति सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी गयी है। राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया है कि उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2016 में केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पर अधिनियम ड्राफ्ट के अनुरुप दिए गए बिंदुओं को समाहित कर लिया गया है, की अभिस्वीकृति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएंगे, ताकि आगामी बैठक में अद्यतन हेतु सदन में रखा जा सके।

<u>कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming)</u> :

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन ने कृषि विभाग से उक्त विषय में जानना चाहा, जिस पर संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मण्डी समिति द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित नियम एवं अधिनियम जारी कर दिए गए हैं, जिस पर प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन ने कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित नियम एवं अधिनियम राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराएं।

<u>किसान सम्मान निधि योजना</u> :

किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राज्य के ऋणी व गैर-ऋणी कृषकों का विवरण कृषि विभाग को प्राप्त होना, विभाग द्वारा अवगत कराया गया है। प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि वे संदर्भित विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं, ताकि उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर गैर-ऋणी कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार बैंकों द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही की जा सके।

<u>गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम (Gold Monetization Scheme)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के संबंध में जारी दिशानिर्देशों से सभी बैकों को पुन: पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया है। इसी अनुक्रम में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य में उक्त योजना में मंदिरों व संस्थाओं का सहयोग व सहभागिता के लिए सचिव, धर्मस्व, उत्तराखंड शासन के साथ बैठक में योजना का बैंक प्रस्तुतीकरण करें, तत्पश्चात सभी मुख्य केंद्रों पर योजना का प्रचार-प्रसार करने हेतु योजना का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाए।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा परामर्श दिया गया कि उक्त योजना से राज्य में विद्यमान धार्मिक संस्थानों / समितियों को अवगत कराएं, जिससे कि वे योजनांतर्गत लाभान्वित हो सकें।

<u>जिला सहकारी बैंक द्वारा वित्तपोषण</u> :

अध्यक्ष महोदया ने जिला सहकारी बैंक द्वारा सरकारी योजनाओं (स्टैण्ड अप इण्डिया एवं एन.आर.एल.एम.) में वित्तपोषण न किए जाने का कारण जानना चाहा, जिस पर प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड सहकारी बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि स्टैण्ड अप इण्डिया एवं एन.आर.एल.एम. में बढ़ते हुए एन.पी.ए. के कारण बैंक द्वारा उक्त योजनाओं में वित्तपोषण में रोक लगा दी गयी थी, लेकिन अब इन योजनाओं में वित्तपोषण किया जा रहा है तथा शीघ्र ही सभी लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जाएगा।

<u>भारतीय स्टेट बैंक कालागढ़ शाखा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड को ओल्ड कालागढ़, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में</u> :

नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की कालागढ़ शाखा, जिला पौड़ी गढ़वाल को जिम कार्बेट पार्क (Green Belt) की सीमा से बाहर शिफ्ट करने हेतु वैकल्पिक स्थान उपलब्ध न होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक की कालागढ़ शाखा, जिला पौड़ी गढ़वाल को ओल्ड कालागढ़, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में शिफ्टिंग करने के अनुमोदन प्रस्ताव पर उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को सूचित किया गया है कि उक्त विषय पूर्व में ही पौड़ी गढवाल जिले की डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. स्तर से अनुमोदित है, साथ ही नियमानुसार इस विषय पर राज्य

स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड का अनुमोदन वांछनीय नहीं है। संबंधित प्रकरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड में मात्र सूचनार्थ माना जाए। प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि बैंक के द्वारा Existing Customers को बैंकिंग सेवाएं पूर्व की भाँति ही सुनिश्चित की जाएं।

<u>बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (Business Correspondent)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके लम्बित 48 एस.एस.ए. के स्थान पर 57 एस.एस.ए. लम्बित हैं, क्योंकि उनके बैंक द्वारा पुन: सूचना का मूल्यांकन किया गया है। गत त्रैमास में लम्बित 94 एस.एस.ए. के सापेक्ष 37 एस.एस.ए. में बी.सी. तथा शाखा द्वारा बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना सूचित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि लम्बित 266 स्थानों पर, मुख्यत: पिथौरागढ़ जिले में 108 स्थानों पर तथा पौड़ी जिले में 43 स्थानों पर बी.सी. उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इन स्थानों पर बी.सी. के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 12वीं पास को पूरा नही कर पा रहे हैं। साथ ही बैंक द्वारा India Post Payments Bank को बी.सी. बनाने के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि वे बी.सी. व शाखाओं द्वारा कवर एस.एस.ए. की वास्तविक दूरी पत्र द्वारा अवगत कराएं।

<u>वी.-सैट की स्थापना</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा लम्बित वी.-सैट के विषय में संबंधित बैंकों से पूछे जाने पर, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके लम्बित 45 वी.-सैट स्थापित नहीं हो पाने का मुख्य कारण वैण्डर द्वारा वी.-सैट की आपूर्ति नहीं कर पाना है। यद्यपि समानांतर रुप से इन स्थानों पर पूर्व में उपलब्ध 2 G कनेक्टिविटी को 3 G अथवा 4 G में परिवर्तित करने हेतु भारत संचार निगम लि. से मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी अनुक्रम में अध्यक्ष महोदया द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु शासन को पत्र द्वारा सूचित करने व इस विषय को उप-समिति की बैठक अथवा इससे पहले M/s Hughes Communications India Ltd. (VSAT Provider Company) के साथ देहरादून में एक बैठक शासन, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक व संबंधित बैंकों के साथ करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

<u>वित्तीय साक्षरता कैम्प</u> :

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे वित्तीय साक्षरता कैम्प में, विशेष रुप से एन.आर.एल.एम. में समूहों को वित्तपोषण से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाएं।

<u>वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि</u> :

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक ऋण योजना के वार्षिक लक्ष्य **₹ 20025.54 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **₹ 12071.91 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का **60%** है। सचिव (सहकारिता), उत्तराखंड शासन द्वारा वार्षिक ऋण योजना के फार्म सेक्टर में **47%** की उपलब्धि को कम बताया गया है। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 67वीं बैठक में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि विभाग, उद्यान व पशुपालन विभाग को प्राप्त ऋण प्रस्ताव बैंकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था कि वे अधिक से अधिक संख्या में बैंक योग्य (Bankable) ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें और उनकी अनुवर्ती कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें, जिस पर कार्यवाही अभी प्रतीक्षित है।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सम्मानित किसानों का पूर्ण विवरण विभाग के पास उपलब्ध है, जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि बैंक संबंधित विभागों से किसानों का डाटा प्राप्त कर, गैर-ऋणी कृषकों को उनकी आवश्यकता वित्तपोषित कर, फार्म सेक्टर में उपलब्धि प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की जानी चाहिए।

<u>सरकारी ऋण योजनाएं</u> :

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u> एवं <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u>

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अंतर्गत आबंटित लक्ष्य **1200** के सापेक्ष **765** आवेदन पत्र स्वीकृत कर **₹ 11.25 करोड़** के ऋण वितरित किए गए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत आबंटित लक्ष्य **5641** के सापेक्ष **1725** आवेदन पत्र स्वीकृत कर **₹ 10.05 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। योजनांतर्गत समीक्षा करते हुए अध्यक्ष महोदया द्वारा बैंक शाखाओं में, विशेषकर अग्रणी बैंकों की शाखाओं में अधिक संख्या में आवेदन पत्रों के लम्बित होने पर चिंता व्यक्त की गयी है। इस पर संबंधित विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि इस बैठक की तिथि तक लगभग 2900 ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं।

अग्रणी जिला प्रबंधक, हरिद्वार द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त योजनांतर्गत संबंधित विभाग द्वारा हरिद्वार जिले में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं को ही अधिकतम ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं, जब कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी बैंक शाखाओं को समान अनुपात में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने चाहिए। इस विषय में अध्यक्ष महोदया ने अग्रणी जिला प्रबंधक, हरिद्वार को निर्देशित किया गया कि वे इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला हरिद्वार को पत्र लिखें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों की ओर से आश्वासन दिया गया कि योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण कर लिया जाएगा। साथ ही एन.आर.एल.एम. के अतिरिक्त उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी द्वारा गठित **1705** स्वयं सहायता समूहों को **₹ 19.09 करोड़** के ऋण भी बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। दोनों योजनाओं में **कुल 4605** स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित किया गया है।

इसी क्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सरकारी ऋण योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रमुखत: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक का ही योगदान रहा है तथा सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्राइवेट बैंकों द्वारा ऋण वितरण नहीं किए जा रहे है, जिस पर अध्यक्ष महोदया ने भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त योजनांतर्गत प्राइवेट बैंकों को वित्तपोषण हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने को कहा एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार प्रायोजित ऋण योजनांतर्गत की गयी प्रगति का पूर्ण विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराया जाए।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u>

वर्तमान तिथि तक राज्य के लिए निर्धारित मार्जिन मनी लक्ष्य **₹ 29.75 करोड़** के सापेक्ष **₹ 29.06 करोड़** मार्जिन मनी बैंकों को प्राप्त हो गयी है तथा **₹ 1.42 करोड़** मार्जिन मनी संबंधित पोर्टल पर क्लेम किया गया है। योजनांतर्गत लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति किए जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंको की सराहना की गयी। निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त योजनांतर्गत पूर्व निर्धारित लक्ष्य **₹ 29.75 करोड़** को बढ़ा कर **₹ 34.75 करोड़** कर दिया गया है। इसी अनुक्रम में अध्यक्ष महोदया द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे बढ़े हुए लक्ष्यों से संबंधित बैंकों को अवगत कराएं तथा बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे बढ़े हुए लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि केवल वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त योजनांतर्गत ईडीपी ट्रेनिंग से पूर्व भी ऋण वितरण किया जाना अनुमत किया गया है। अत: बैंक ईडीपी ट्रेनिंग से पूर्व ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

<u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

योजनांतर्गत वाहन मद में वार्षिक लक्ष्य **200** के सापेक्ष **88** आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें **₹ 7.18 करोड़** के ऋण तथा गैर-वाहन मद में वार्षिक लक्ष्य **200** के सापेक्ष **27** आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें **₹ 4.33 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त योजनांतर्गत गैर-वाहन मद में कम प्रगति का कारण जानना चाहा, जिस पर पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि गैर-वाहन मद में विभाग को कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। साथ ही अवगत कराया कि गैर-वाहन मद में कम प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व गतिविधियों के अतिरिक्त 11 अन्य नई गतिविधियों को योजना में सम्मिलित किया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया वे नयी गतिविधियों से संबंधित शासनादेश पुन: बैंकों को उपलब्ध कराएं।

<u>दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (पर्यटन विभाग)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 से सदन को अवगत कराया गया। संशोधित अधिसूचना के क्रम संख्या - 5 में दर्शित 4(3) नियम 4 के संशोधन, जिसमें बताया गया है कि गृह आवास / होम स्टे स्थापित किए जाने हेतु बैंक ऋण आवेदन की दशा में भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी। बैंक नियंत्रकों के द्वारा (होम स्टे) विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 में और अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है, ताकि लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जा सके। अपेक्षित संशोधन की ड्राफ्ट सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से बैंकों को उपलब्ध करायी जाएगी।

शून्य प्रगति दर्ज करने वाले बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं सभी प्राइवेट बैंकों की प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे शीघ्र अपनी प्रगति को सुधारें।

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त योजनांतर्गत अपेक्षित प्रगति दर्ज करने हेतु विभाग द्वारा छोटे-छोटे व्यवसायियों का क्लस्टर बनाए जाएं एवं छोटी राशि के ऋण प्रस्ताव, जो कि आर्थिक रुप से व्यवहार्य हों, बैंकों को प्रेषित किए जाएं।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना</u> :

योजनांतर्गत भौतिक लक्ष्य **2000** के सापेक्ष **1554** आवेदकों को **₹ 208.04 करोड़** का ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें ग्राहकों से सीधे बैंकों को प्राप्त **1468** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष **₹ 201.37 करोड़** के ऋण तथा विभाग द्वारा प्रेषित **86** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष **₹ 6.67 करोड़** के ऋण हैं, जिसे प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा संतोषजनक बताया गया तथा निर्देशित किया गया कि बैंक जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी के माध्यम से प्राप्त ऋण प्रस्तावों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

<u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

योजनांतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में **301** आवेदन पत्रों के सापेक्ष बैंकों द्वारा **₹ 69.00 करोड़** के ऋण वितरित किए जाने पर अध्यक्ष महोदया द्वारा संतोष व्यक्त किया गया है।

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u> :

योजनांतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक **93327** लाभार्थियों को **₹ 1448.62 करोड़** के ऋण स्वीकृत किए जाने पर अध्यक्ष महोदया द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी पात्र आवेदकों को योजनांतर्गत लाभान्वित करने हेतु समग्र प्रयास करें।

<u>स्पेशनल कम्पोनेंट प्लान</u> :

योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य 2013 के सापेक्ष **1046** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए, जिसमें **₹ 6.46 करोड़** का ऋण वितरण किया गया है। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा विभाग से अनुरोध किया गया कि वे बैंकों को प्रेषित / लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का विवरण हमें साफ्ट कापी में उपलब्ध कराएं, ताकि तदानुसार हमारे स्तर से प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके। ऑन-लाइन पोर्टल बनाए जाने की मांग पर, अध्यक्ष महोदया द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे यथाशीघ्र पोर्टल बनाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदया द्वारा योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए पाया गया कि अधिकांश बैंकों को लक्ष्य ही आबंटित नहीं किए गए हैं। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु कहा गया, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताया गया कि योजनांतर्गत प्रति शाखा को न्यूनतम दो आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने चाहिए। इसी अनुक्रम में अध्यक्ष महोदया द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे समान अनुपात में बैंक शाखाओं को ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करें।

<u>एम.एस.एम.ई.</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य के तीन जिलों हरिद्वार, पंत नगर (उधम सिंह नगर) एवं नैनीताल में **100 Days MSME Support and Outreach Campaign** के दौरान 05 फरवरी, 2019 तक 60 कैम्प में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा **59 Minutes, MUDRA, Stand Up India, PMEGP, Other MSME, RSETIs** एवं **CGTMSE** के अंतर्गत **कुल 45359** लाभार्थियों को कुल **₹ 432.03 करोड़** के ऋण वितरित किए गए है। साथ ही ऐसे लगभग **625 SME** खाते**,** जो कि खराब होने की स्थिति में हैं, को **Restructured** किया गया है। यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी होगी। सदन द्वारा इस अभियान के उदेश्य को प्राप्त करने हेतु बैंकों द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों की सराहना की गयी है।

निदेशक, उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया है कि उत्तराखंड राज्य में उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु **औद्योगिक विकास स्कीम 2017** लागू की गयी है, जोकि **01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022** तक प्रभावी रहेगी, जिसकी प्रति समस्त बैंकों को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे पी.एम.ई.जी.पी. योजनांतर्गत व उद्योगों को ऋण प्रदान करने के पश्चात उद्योग आधार में उनका पंजीकरण करवाने हेतु मार्गदर्शन करें।

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u> :

निदेशक, कृषि विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2018 तक **53430** किसानों को **₹ 31.18 करोड** का फसली बीमा क्लेम का वितरण डी.बी.टी. के माध्यम से किया गया है तथा PMFBY एवं RWBCIS के अंतर्गत 170979 ऋणी कृषकों को बीमित किया गया है।

यह भी अवगत कराया गया है कि खरीफ सीजन एवं रबी सीजन हेतु कृषकों के खाते से बीमा प्रीमियम राशि नामे करने की अंतिम तिथि 15 दिन पूर्व कर दी गयी है, जो कि क्रमश: **15 जुलाई** तथा **15 दिसम्बर** है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है कि परिवर्तन की तिथि से बैंकों को पत्र द्वारा अवगत कराना सुनिश्चित करें।

<u>ऋण-जमा अनुपात</u> :

अध्यक्ष महोदया द्वारा राज्य का ऋण-जमा अनुपात **60%** होने पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40%** से कम है, वे विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से विशेषकर अर्ध शहरी क्षेत्रों में संभाव्यता के आधार पर नए क्षेत्रों / मदों में ऋण वितरण हेतु उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर, उसे क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें तथा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण कराएं।

<u>कौशल विकास मिशन</u> :

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा ग्राम्य विकास विभाग से अनुरोध किया गया कि आरसेटी संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यय की गयी धनराशि ` 58.09 लाख, जिसकी प्रतिपूर्ति विभाग स्तर पर लम्बित है, का भुगतान किया जाए, ताकि सुचारु रुप से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो सकें। इसी अनुक्रम में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 15 दिनों के अंदर लम्बित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

<u>गैर-निष्पादित अस्तियाँ</u> :

सितम्बर, 2018 त्रैमास के कुल एन.पी.ए. **182813** व राशि ₹ **3314.99 करोड़** के सापेक्ष दिसम्बर, 2018 त्रैमास में **5.08%** से घटकर **4.84%** हो गया है। परंतु सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. के बढ़ते प्रतिशत को अध्यक्ष महोदया द्वारा गम्भीरतापूर्वक लिया गया है तथा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु बैंकों का सहयोग करें। पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना अंतर्गत अधिक एन.पी.ए. प्रतिशत का कारण होटल व्यवसाय का यात्रा सीजन पर निर्भर रहना है।

<u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** के अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य

पालन आदि में वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय त्रैमास तक बैंकों द्वारा **65216** ऋण खातों में **₹ 1519.17 करोड़** के वितरित किए गए हैं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा नाबार्ड एवं रेखीय विभागों से अनुरोध किया कि वे किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु **bankable** योजनाएं / प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित करें।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदया द्वारा राज्य की प्रगति में सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना की गयी। साथ ही रेखीय विभागों को निर्देशित किया गया कि वे सरकारी ऋण योजनाओं में वित्तपोषण करने में बैंकों का सहयोग करें।

****